निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1941 (श0)

(सं0 पटना 83) पटना, सोमवार, 3 फरवरी 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना–800001

अधिसूचना

4 सितम्बर 2019

सं० 643––श्री राम जानकी मन्दिर, बउए लाल प्रधान ट्रस्ट, राम चौक, दरभंगा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–1748 है। पर्षद के अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि स्व0 बउए लाल प्रधान द्वारा श्री राम लक्ष्मण जानकी मन्दिर की स्थापना कर अपने स्वामित्व की बहुत सी जमीन ईश्वर के नाम से करते हुए दिनांक–23.03.1926 को समर्पणनामा निबंधित किया था। उक्त मन्दिर को कृषि योग्य भूमि के अलावा मकान/दुकान से पर्याप्त आय है। वर्ष 2000–2001 के विवरण में वार्षिक आय 1,29,994.00 रुपये दिखलाया गया था, जिसके बाद से न तो कोई आय–व्यय विवरण दाखिल किया गया और न ही पर्षद का शुल्क भुगतान किया गया।

न्यास समिति के अधिकांश सदस्यों की मृत्यु हो जाने एवं पर्षद में न्यास की आय–व्यय का विवरण तथा शुल्क आदि दाखिल नहीं करने के कारण अंचलाधिकारी, सदर दरभंगा से नवीन न्यास समिति के गठन हेतु 11 व्यक्तियों का नाम तथा न्यास के चल–अचल सम्पत्ति का ब्योरा मांगा गया। साथ ही पर्षदीय पत्रांक–1397, दिनांक–26.09.2017 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर दरभंगा से भी न्यास समिति के गठन हेतु नाम मांगा गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर दरभंगा ने अपने पत्रांक–1904, दिनांक–09.08.2018 द्वारा सूचित किया कि दिनांक–28.01.2018 को मन्दिर प्रांगण में न्यास समिति गठन हेतु बैठक आयोजित की गयी जिसमें चयनित सदस्यों के संबंध में अंचलाधिकारी, सदर दरभंगा के पत्रांक–1208, दिनांक–31.07.2018 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार नामित सदस्यगण धार्मिक एवं सामाजिक कार्यो में रूची रखते है तथा स्वच्छ छवि के हैं और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से किसी प्रकार का लाभ नहीं लेते हैं।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी मन्दिर, बउएलाल प्रधान ट्रस्ट, राम चौक, दरभंगा के सुचारू प्रबंधन सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसको मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा, 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री राम जानकी मन्दिर, बउएलाल प्रधान ट्रस्ट, राम चौक, दरभंगा न्यास योजना**'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री राम जानकी मन्दिर, बउएलाल प्रधान ट्रस्ट, राम चौक, दरभंगा न्यास समिति**'' होगी जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण, संरक्षण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :–

(1) श्री राज कुमार नायक, पिता–श्री राधाकृष्ण नायक – अध्यक्ष
(2) अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा – उपाध्यक्ष
(3) श्री राजेश कुमार पूर्वे, पिता–श्री सूरज पूर्वे – सचिव
(4) श्री अमीत कुमार महंथा, पिता–श्री गौड़ी शंकर महथा – कोषाध्यक्ष
(5) श्री डा0 योगेन्द्र प्रसाद, पिता–स्व0 लक्ष्मी नारायण प्रसाद – सदस्य
(6) श्री सुनील गड़ाई, पिता– श्री गणेश गड़ाई – सदस्य
(7) श्री कृष्णदेवी पूर्वे, पिता–स्व0 महावीर पूर्वे – सदस्य
(8) श्री संजय कुमार महतो, पिता–स्व0 राज कुमार महतो – सदस्य
(9) श्री प्रहलाद कुमार महतो, पिता–स्व0 इन्द्र नारायण महतो – सदस्य
(10) श्री दिनेश कुमार महासेठ, पिता–स्व0 ध्रुव नारायण महासेठ – सदस्य
(11) श्री अशोक नायक, पिता–स्व0 सुखी नायक – सदस्य

यह योजना तत्काल प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षो का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यो की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में न्यास समिति की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 83–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in